रजिस्ट्री सं० डी-(डी)-72 REGISTERED No. D-(D)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 464] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 26, 1976/कार्तिक 4, 1898

No. 464] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 26, 1976/KARTIKA 4, 1898

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY

MINISTRY OF COMMERCE

ORDERS

IMPORT TRADE CONTROL

New Delhi, the 13th October 1976

S.O. 694(E) 1.—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports & Exports (Control) Act 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Imports (Control) Order, 1955, namely:—

1. This Order may be called the Imports (Control) Ninth Amendment Order, 1976.

2. In the Imports (Control) Order, 1955,—

(a) in clause 6, in sub-clause (1), after item (d), the following item shall be inserted, namely:—

"(dd) if the applicant is for the time being subject to any action under sub-clause (2) of clause 8,";

(b) clause 8 shall be renumbered as sub-clause (1) thereof, and after sub-clause (1) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(2) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may, by special order in writing,—

(a) debar—

(i) a person in respect of whom an order of detention has been made under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) (hereinafter referred to as the 1974—Act), or

(ii) a partnership firm or a private limited company of which such person is a partner or a director, as the case may be, from receiving licences or allotment of imported goods through the State Trading Corporation of India, the Minerals & Metals Trading Corporation of India, or any other similar agency; and

(b) without prejudice to any other action that may be taken against such person, partnership firm or company, direct that no licence or allotment of imported goods shall be granted to such person, partnership firm or company, for such period as may be specified in such special order:

Provided that such special order shall cease to have effect in respect of such person, or, as the case may be, partnership firm or company of which such person is a partner or a director, when the order of detention made against such person,—

(i) being an order of detention to which the provisions of section 9 or section 12A of the 1974—Act do not apply has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 of that Act or before a receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board; or

(ii) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the 1974—Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of the review under sub-section (3) of section 9, or on the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (2) of section 9, of that Act; or

(iii) being an order of detention to which the provisions of section 12A of the 1974—Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the first review under sub-section (3) of that section, or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (6) of section 12A, of that Act; or

(iv) has been set aside by a court of competent jurisdiction.";

(c) clause 9 shall be renumbered as sub-clause (1) thereof and after sub-clause (1) as so renumbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(2) The Central Government or the Chief Controller of Imports & Exports or any other officer authorised in this behalf may, by special order in writing, render ineffective any licence granted under this order to—

(a) a person, if an order of detention has been made under the 1974—Act in respect of such person, or

(b) a partnership firm or a private limited company of which such person is a partner or a director, as the case may be:

Provided that such special order shall cease to have effect in respect of such person, or, as the case may be, partnership firm or company of which such person is a partner or a director, when the order of detention made against such prson,—

(i) being an order of detention to which the provisions of section 9 or section 12A of the 1974—Act, do not apply has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8

of that Act or before a receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board; or

(ii) being an order of detention to which the provisions of section 9 of the 1974—Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the review under sub-section (3) of section 9, or on the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (2) of section 9, of that Act; or

(iii) being an order of detention to which the provisions of section 12A of the 1974—Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the first review under sub-section (3) of that section, or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (6) of section 12A, of that Act; or

(iv) has been set aside by a court of competent jurisdiction".

[No. 19/76]

वाणिज्य मंत्रालय

आदेश

आयात व्यापार नियंत्रण

नई दिल्ली, 13 अक्तूबर, 1976

का० आ० 694(अ).—आयात तथा निर्यात नियंत्रण अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा आयात (नियंत्रण) आदेश, 1955 में और आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है अर्थात् :—

1. इस आदेश को आयात (नियंत्रण) नौवां आदेश, 1976 की संज्ञा दी जाए।

2. आयात (नियंत्रण) आदेश 1955 में :—

(क) परिच्छेद 6, उप-परिच्छेद (1), मद (डी) के बाद निम्नलिखित मद निविष्ट की जाएगी, अर्थात् :—

"(डी डी) यदि आवेदक फिलहाल परिच्छेद 8 के उप-परिच्छेद (2) के अन्तर्गत किसी कार्रवाई के अधीन है";

(ख) परिच्छेद 8 को उसके उप-परिच्छेद (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित किए गए उप-परिच्छेद (1) के बाद निम्नलिखित उप-परिच्छेद शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात लिखित रूप में विशेष आदेश द्वारा इनको

(क) वंचित कर सकते है :—

(1) उस व्यक्ति को जिस के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधि निरोध अधिनियम, 1974 (1974 का 52) (जिसे इसके बाद 1974—अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत कैद का आदेश दिया गया है, या

(2) उस साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को जिस में ऐसा व्यक्ति भागीदार या संचालक, जैसा भी मामला हो, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए या भारत के राज्य व्यापार निगम, भारत के खनिज तथा धातु व्यापार निगम या अन्य ऐसी ऐजेन्सी से आबंटन प्राप्त करने के लिए हैं ; और

(ख) अन्य कार्रवाई जो ऐसे व्यक्ति, साझेदारी फर्म, या कम्पनी के विरुद्ध इस संबंध में सीधे ही की जाएगी के, अतिरिक्त ऐसे व्यक्ति, साझेदारी फर्म या कम्पनी को ऐसे विशेष आदेश में विशिष्टकृत की जाने वाली अवधि के लिए कोई भी लाइसेंस या आयातित माल के आबंटन के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी :

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति या उस साझेदारी फर्म या कम्पनी जिस का ऐसा व्यक्ति साझीदार या संचालक हो, जो भी मामला हो, के संबंध में ऐसा विशेष आदेश तब प्रभावी नहीं रहेगा जबकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया कैद का आदेश :—

(1) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 9 या धारा 12–ए के परन्तुक लागू नहीं होते है कैद का वह आदेश होने के कारण, उस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले या सलाहकार बोर्ड को हवाला देने से पहले रद्द कर दिया गया हो; या

(2) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 9 के परन्तुक लागू होते है। कैद का वह आदेश होने के कारण, निर्धारित समय की समाप्ति से पहले, या धारा 9 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पुनरीक्षा के आधार पर, या उस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर रद्द कर दिया गया हो ; या

(3) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 12–ए के परन्तुक लागू होते हों, कैद का वह आदेश होने के कारण, निर्धारित समय की समाप्ति से पहले या उस धारा की उप-धारा के अन्तर्गत प्रथम पुनरीक्षा के आधार पर, या उस अधिनियम की धारा 12–ए की उप-धारा (6) के साथ पढ़ी जानी वाली धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया हो ; या

(4) समर्थ न्याय अधिकारी के न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो।";

(ग) परिच्छेद 9 को उसकी उप-परिच्छेद (1) के रूप में पुनः संख्यांकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनः संख्याकित किए गए उप-परिच्छेद (1) के बाद निम्नलिखित उप-परिच्छेद निविष्ट किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या इसकी ओर से कोई भी अन्य प्राधिकृत अधिकारी लिखित रूप में विशेष आदेश द्वारा

इस आदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित को प्रदान किए गए किसी भी लाइसेंस को अप्रभावी कर सकता है—

(क) वह व्यक्ति जिसके संबंध में यदि 1974 अधिनियम के अन्तर्गत कैद का आदेश दिया गया है, या

(ख) उस साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को जैसी भी मामला हो जिस में ऐसा व्यक्ति भागीदार है या संचालक है।

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति या उस साझेदारी फर्म या कम्पनी जिसका ऐसा व्यक्ति साझीदार या संचालक हो, जो भी मामला हो, के संबंध में ऐसा विशेष आदेश तब प्रभावी नहीं रहेगा जबकि ऐसे व्यक्ति को विरुद्ध दिया गया कैद का आदेश—

(1) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 9 या धारा 12-ए के परन्तुक लागू नहीं होते हैं कैद का आदेश होने के कारण उस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व या सलाहकार बोर्ड का हवाला देने से पूर्व रद्द कर दिया गया हो; या

(2) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 9 के परन्तुक लागू होते हों, कैद का वह आदेश होने के कारण निर्धारित समय की समाप्ति से पूर्व, या धारा 9 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पुनरीक्षा के आधार पर, या उस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पढ़ी जानी वाली धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर रद्द कर दिया गया हो; या

(3) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 12-ए के परन्तुक लागू होते हों कैद का वह आदेश होने के कारण निर्धारित समय की समाप्ति से पहले या उस धारा की उप-धारा के अन्तर्गत प्रथम पुनरीक्षा के आधार पर, या उस अधिनियम की धारा 12-ए की उप-धारा (6) के साथ पढ़ी जानी वाली धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया हो; या

(4) समर्थ न्यायाधिकारी के न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो।"

[फा० 19/76]

EXPORT TRADE CONTROL

S.O. 695(E).—In exercise of the powers conferred by section 3 of the Imports and Exports (Control) Act, 1947 (18 of 1947), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Exports (Control) Order, 1968, namely:—

1. This Order may be called the Exports (Control) thirtysecond Amendment Order, 1976.

2. In the Exports (Control) Order, 1968,—

(a) in clause 6, after item (m), the following item shall be inserted, namely:—

"(mm) if the applicant is for the time being subject to any action under sub-clause (2) of clause 8;";

(b) clause 8 shall be re-numbered as sub-clause (1) thereof, and after sub-clause (1) as so re-numbered, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(2) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports may, by special order in writing,—

(a) debar—

(i) a person in respect of whom an order of detention has been made under the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (52 of 1974) (hereinafter referred to as the 1974—Act); or

(ii) a partnership firm or a private limited company of which such person is a partner or a director, as the case may be, from receiving licences or from exporting any goods; and

(b) without prejudice to any other action that may be taken against such person, partnership firm or company, direct that no licence or permission for exporting any goods shall be granted to such person, partnership firm or company,

for such period as may be specified in such special order:

Provided that such special order shall cease to have effect in respect of such person, or, as the case may be, partnership firm or company of which such person is a partner or a director, when the order of detention made against such person,—

(i) being an order of detention to which the provisions of section 9 or section 12A of the 1974—Act do not apply has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 of that Act or before a receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board, or

(ii) being an order of detention to which the provisions of section of the 1974—Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the review under sub-section (3) of section 9, or on the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (2) of section 9 of that Act; or

(iii) being an order of detention to which the provisions of section 12A of the 1974—Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the first review under sub-section (3) of that section, or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (6) of section 12A, of that Act; or

(iv) has been set aside by a court of competent jurisdiction.";

(c) clause 9 shall be re-numbered as sub-clause (1) thereof, and after sub-clause (1) as so re-numbered and the proviso thereto, the following sub-clause shall be inserted, namely:—

"(2) The Central Government or the Chief Controller of Imports and Exports or any other officer authorised in this behalf may, by special order in writing, render ineffective any licence granted under this Order to—

(a) a person, if an order of detention has been made under the 1974—Act in respect of such person, or

(b) a partnership firm or a private limited company of which such person is a partner or a director, as the case may be:

Provided that such special order shall cease to have effect in respect of such person, or, as the case may be, partnership firm or company of which such person is a partner or a director, when the order of detention made against such person,—

(i) being an order of detention to which the provisions of section 9 or section 12A of the 1974—Act do not apply has been revoked on the report of the Advisory Board under section 8 of that Act or before a receipt of the report of the Advisory Board or before making a reference to the Advisory Board; or

(ii) being an order of detention to which he provisions of section 9 of the 1974—Act apply has been revoked before the expiry of

the time for, or on the basis of, the review under sub-section (3) of section 9, or on the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (2) of section 9, of that Act; or

(iii) being an order of detention to which the provisions of section 12A of the 1974—Act apply has been revoked before the expiry of the time for, or on the basis of, the first review under sub-section (3) of that section, or on the basis of the report of the Advisory Board under section 8, read with sub-section (6) of section 12A, of that Act; or

(iv) has been set aside by a court of competent jurisdiction.".

[No. E(C)O, 1968/AM(211)]

A. S. GILL,

Chief Controller of Imports & Exports.

निर्यात व्यापार नियन्त्रण

का० आ० 695(अ).—आयात तथा निर्यात (नियन्त्रण) अधिनियम, 1947 (1947 का 18) के खंड 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1968 में आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश का निर्माण करती है, अर्थात् :—

1. इस आदेश को निर्यात (नियन्त्रण) संशोधन आदेश, 1976 की बत्तीसवीं संज्ञा दी जाए।

2. निर्यात (नियन्त्रण) आदेश, 1968 में :—

(क) परिच्छेद 6 में मद (एम) के बाद निम्नलिखित मद शामिल की जाएगी अर्थात् :—

"(एम एम) यदि आवेदक फिलहाल परिच्छेद 8 उप-परिच्छेद (2) के अन्तर्गत किसी कार्रवाई के अधीन है"

(ख) परिच्छेद 8 को उसके उप-परिच्छेद (1) के रूप में पुनःसंख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्याकित किए गए उप-परिच्छेद (1) के बाद निम्नलिखित उप-परिच्छेद शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात लिखित रूप में विशेष आदेश द्वारा इनको

(क) वंचित कर सकते हैं :—

(1) उस व्यक्ति को जिस के सम्बन्ध में विदेशी मुद्रा के संरक्षण और तस्करी गतिविधि निरोध अधिनियम, 1974 (1974 का 52) (जिसे इसके बाद 1974 अधिनियम कहा गया है) के अन्तर्गत कैद का आदेश दिया गया है, या

(2) उस साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को जिसका ऐसा व्यक्ति भागीदार या संचालक, जैसा भी मामला हो, लाइसेंस प्राप्त करने के लिए या कोई माल निर्यात करने के लिए; और

(ख) अन्य कार्रवाई जो ऐसे व्यक्ति, साझेदारी फर्म, या कम्पनी के विरुद्ध इस सम्बन्ध में सीधे ही की जाएगी कि ऐसे व्यक्ति, साझेदारी फर्म या कम्पनी को किसी भी लाइसेंस या माल निर्यात करने के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी, उसका उपर्युक्त बातों पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा,

और यह ऐसी अवधि के लिए होगा जिसे ऐसे विशेष आदेश में निर्दिष्ट किया जाए। परन्तु शर्त यह है कि ऐसे व्यक्ति या उस साझेदारी फर्म या कम्पनी जिसका ऐसा व्यक्ति साझीदार या संचालक हो, जो भी मामला हो, के सम्बन्ध में ऐसा विशेष आदेश तब प्रभावी नहीं रहेगा जबकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया कैद का आदेश :—

(1) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 9 या धारा 12–ए के परन्तुक लागू नहीं होते हैं कैद का वह आदेश होने के कारण, उस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पहले या सलाहकार बोर्ड को हवाला देने से पहले रद्द कर दिया गया हो; या

(2) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 9 के परन्तुक लागू होते हैं। कैद का वह आदेश होने के कारण, निर्धारित समय की समाप्ति से पहले, या धारा 9 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत पुनरीक्षा के आधार पर, या उस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर रद्द कर दिया गया हो; या

(3) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 12–ए के परन्तुक लागू होते हों, कैद का वह आदेश होने के कारण, निर्धारित समय की समाप्ति से पहले या उस धारा की उपधारा के अन्तर्गत प्रथम पुनरीक्षा के आधार पर, या उस अधिनियम की धारा 12–ए की उप-धारा (6) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया हो; या

(4) समर्थ न्याय अधिकारी के न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो

(ग) परिच्छेद 9 को उसके उप-परिच्छेद (1) के रूप में पुनः संख्याकित किया जाएगा और इस प्रकार पुनःसंख्याकित किए गए उप-परिच्छेद (1) के और इससे संबद्ध परन्तुक के बाद निम्नलिखित उप-परिच्छेद को शामिल किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) केन्द्रीय सरकार या मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात या इसकी ओर से कोई भी अन्य प्राधिकृत अधिकारी लिखितरूप में विशेष आदेश द्वारा इस आदेश के अन्तर्गत निम्नलिखित को प्रदान किए गए किसी भी लाइसेंस को अप्रभावी कर सकता है—

(क) वह व्यक्ति जिसके संबंध में यदि 1974 अधिनियम के अन्तर्गत कैद का आदेश दिया गया है, या

(ख) उस साझेदारी फर्म या प्राइवेट लिमिटेड कम्पनी को जैसा भी मामला हो जिस में ऐसा व्यक्ति भागीदार है या संचालक है।

बशर्ते कि ऐसे व्यक्ति या उस साझेदारी फर्म या कम्पनी जिसका ऐसा व्यक्ति साझीदार या संचालक हो, जो भी मामला हो, के संबंध में ऐसा विशेष आदेश तब प्रभावी नहीं रहेगा जबकि ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध दिया गया कैद का आदेश—

(1) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 9 या धारा 12-ए के परन्तुक लागू नहीं होते हैं, कैद का आदेश होने के कारण उस अधिनियम की धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर या सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट की प्राप्ति से पूर्व या सलाहकार बोर्ड को हवाला देने से पूर्व रद्द कर दिया गया हो; या

(2) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 9 के परन्तुक लागू होते हों, कैद का वह आदेश होने के कारण निर्धारित समय की समाप्ति से पूर्व, या धारा 9 की उपधारा (3) के अन्तर्गत पुनरीक्षा के आधार पर, या उस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट पर रद्द कर दिया गया हो; या

(3) जिसके लिए 1974—अधिनियम की धारा 12-ए के परन्तुक लागू होते हों कैद का वह आदेश होने के कारण निर्धारित समय की समाप्ति से पहले या उस धारा की उप-धारा के अन्तर्गत प्रथम पुनरीक्षा के आधार पर, या उस अधिनियम की धारा 12-ए की उप-धारा (6) के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 8 के अन्तर्गत सलाहकार बोर्ड की रिपोर्ट के आधार पर रद्द कर दिया गया हो; या

(4) समर्थ न्यायाधिकारी के न्यायालय द्वारा रद्द कर दिया गया हो।"

[सं० ई(सी) ओ, 1968/ए० एम० (211)]

ए० एस० गिल,
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात।

महा प्रबन्धक, भारत सरकार मुद्रणालय, मिन्टो रोड, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित तथा नियंत्रक, प्रकाशन विभाग, दिल्ली द्वारा प्रकाशित 1976
PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1976